

कायालिय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय आजमगढ़।

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के जजी मैदान में प्रदर्शनी एवं मेला के आयोजन हेतु विभिन्न व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था। जिसे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा पूर्व में हुई समस्त कार्यवाही को निरस्त कर दिया गया है।

अतः जनपद न्यायालय आजमगढ़ के जजी मैदान में किराये के आधार पर आवंटन हेतु
 इच्छुक व्यक्ति या संस्था अथवा विभाग द्वारा बन्द लिफाफा में आवेदन पत्र दिनांक 12.09.2023 तक
 दोपहर 01.30 बजे तक अध्यक्ष वित्त एवं नीलामी समिति के विश्राम कक्ष में प्रस्तुत करें। प्रत्येक आवेदन
 पत्र के साथ धरोहर जमानत धनराशि के रूप में जनपद न्यायाधीश आजमगढ़ के नाम से रूपये
 2,00,000/- (दो लाख मात्र) का बैंक ड्राफ्ट संलग्न करना अनिवार्य होगा। माननीय जनपद न्यायाधीश के
 आदेश के पश्चात जिस व्यक्ति का आवेदन पत्र स्वीकृत होगा उसको छोड़कर शेष व्यक्तियों का बैंक ड्राफ्ट
 वापस कर दिया जायेगा तथा स्वीकृत आवेदनकर्ता के जमानत धनराशि में उक्त धनराशि समायोजित कर
 दिया जायेगा। प्रत्येक आवेदनकर्ता को अपने आवेदन पत्र में इस आशय का स्पष्ट उल्लेख करना अनिवार्य है
 कि वे जजी मैदान का आवंटन किस दिनांक से किस दिनांक तक कुल कितने दिनों के लिए तथा प्रत्येक
दिन कितने रूपये किराया पर लेना चाहते हैं और उनके द्वारा सम्पूर्ण अवधि का कुल कितना किराया अदा
किया जायेगा। जिस व्यक्ति का आवेदन पत्र स्वीकृत होगा उसको जजी मैदान का सम्पूर्ण किराया का 20
 प्रतिशत धनराशि जमानत धनराशि के रूप में चेक अथवा नकद रूप में एक सप्ताह में जमा करना अनिवार्य
 होगा अन्यथा जमा धरोहर धनराशि रूपये 2,00,000/- (दो लाख रूपये) जबत कर लिया जायेगा। तथा
 प्रत्येक सप्ताह के शुक्रवार को एक सप्ताह का अग्रिम किराया प्रति दिन के हिसाब से जमा करना होगा।

दिनांक-

(जैनेन्द्र कुमार पांडेय)

अध्यक्ष, नीलामी एवं क्रय समिति
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० ऐकट),
आजमगढ़।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित:-

- ✓

 1. कार्यालय, जिलाधिकारी आजमगढ़।
 2. कार्यालय अधीक्षक पुलिस अधीक्षक आजमगढ़।
 3. कार्यालय अधीक्षक नगर पालिका परिषद आजमगढ़।
 4. कार्यालय अधीक्षक मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़।
 5. जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु प्रेषित।
 6. दैनिक समाचार पत्र हिन्दुस्तान को प्रकाशन करके बिल प्रस्तुत करने हेतु।
 7. दैनिक समाचार पत्र नार्दन इंडिया पत्रिका को प्रकाशन करके बिल प्रस्तुत करने हेतु।
 8. जनपद न्यायालय, आजमगढ़ के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सिस्टम आफिसर को प्रेषित।
 9. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के बेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ओ०एस०डी० Central Project Co-ordinature माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद को प्रेषित।

दिनांक-

(जैनेन्द्र कमार पांडेरा)

अध्यक्ष, नीलामी एवं क्रय समिति
विशेष न्यायाधीश (एस०सी०/एस०टी० ऐक्ट),
आजमगढ़